(3)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) नाबार्ड–03–208 / 2016 8 ऐड्म पटना दिनांक– 05/04/18

प्रेषक,

संजय कुमार भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के क्षेत्राधीन नाबार्ड योजनान्तर्गत रामनगर एवं मेघपुर गाँव के बीच बकौर नदी पर आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 30.22 मी0 निर्माण हेतु रू0 194.83 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 1.62 लाख अर्थात कुल राशि 196.45 लाख (एक करोड़ छियान्वे लाख पैंतालिस हजार रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के क्षेत्राधीन नाबार्ड योजनान्तर्गत रामनगर एवं मेघपुर गाँव के बीच बकौर नदी पर आर0 सी0 सी0 पुल का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 30.22 मी0 निर्माण हेतु रू0 194.83 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 1.62 लाख अर्थात कुल राशि 196.45 लाख (एक करोड़ छियान्वे लाख पैंतालिस हजार रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्बंधित योजना के कार्य आवंटन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति एवं [illegible] जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से निष्पादनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 454.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी द्वारा सम्बंधित योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमश: अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता–2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, पुपरी सुनिश्चित करेंगे कि माह कार्य किसी अन्य योजना शीर्ष [illegible] स्वीकृत नहीं है।

[illegible] ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा [illegible] पत्र [illegible] पर दिनांक 06.04.2018 को किया गया।

[illegible] ग्रामीण कार्य विभाग के [illegible] पत्र [illegible] पर दिनांक [illegible]

आवश्यक विधीय महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षक का से परामर्शित

(2)

10. [illegible]

11. [illegible] विभाग के शासनादेश संख्या-[illegible]-45/[illegible] 301 वि (7) विभाग [illegible] (2)-11-2005-[illegible] वि (2) विभाग [illegible] 05 एवं 2005 [illegible] में तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0 06 विभाग [illegible] 2006 में निर्गत निर्देशों [illegible] विभाग [illegible] के आधार पर [illegible] (पृ0) [illegible]-2005/2011 व पृथक संख्या- [illegible] विभाग-16-06-17 [illegible] प्राप्त है।

12. [illegible]

13. [illegible]

14. [illegible]

15. [illegible] R(1)1 [illegible] भूमि [illegible] भेजी जाय।

[illegible]

[illegible]